राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन

पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी भोपाल–462016 (म.प्र.)

बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in

दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859

फैक्स नं. – 0755–2462136

No: 1654 / SEIAA/2022

Date: 23/9/22

प्रति,

श्री राजेश प्रताप सिंह
आत्मज श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह,
निवासी ग्राम–चक्रहन टोला,
तहसील नईगढ़ी, जिला रीवा (म.प्र.)

विषय :– **प्रकरण क्र 9210/2022** परियोजना प्रस्तावक **श्री राजेश प्रताप सिंह आत्मज श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह, निवासी ग्राम–चक्रहन** टोला, **तहसील नईगढ़ी, जिला रीवा (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड** विधि), **उत्पादन क्षमता 9872 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 10/3, ग्राम पथरौदाकंला,** तहसील **नईगढ़ी, जिला रीवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

प्रकरण पर 746वी SEIAA **बैठक** दिनांक **13.09.2022 में चर्चानुसार निम्नानुसार निर्णय लिया गया .....**

" राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 578वीं बैठक दिनांक 16.06.2022 एवं 591वीं बैठक दिनांक 27.08. 2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश अनुसार खदान क्षेत्र से 90 मीटर की दूरी पर नदी होना परिलक्षित है। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। उपरोक्त मापदण्ड अनुसार प्रस्तावित खदान से 200 मीटर दूरी छोड़ने के उपरांत खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग से नदी के HFL से खदान की वास्तविक दूरी की सत्यापित जानकारी के साथ परियोजना प्रस्तावक अपने पर्यावरण सलाहकार के साथ आगामी SEIAA बैठक में उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।"

उपरोक्त निर्णय के परिपालन में कृपया **कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग से नदी के HFL से खदान की वास्तविक दूरी की सत्यापित** जानकारी **के साथ परियोजना प्रस्तावक अपने पर्यावरण सलाहकार के साथ आगामी SEIAA बैठक** में उपरोक्त **के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।, तदानुसार प्रकरण पर पुर्नविचार हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत** किया जा सकेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

क्र.. 1655 / SEIAA / 2022 भोपाल दिनांक 23/9/22

प्रतिलिपि :–

1. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जिला रीवा (म.प्र.)–486001 की ओर सूचानार्थ।

सदस्य सचिव